न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 86 सन 2019

अनवान :–

1. मोनिका पत्नी लाजवन्त जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

बनाम

1. लाजवन्त पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12/2/19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 10/12 के प0न0 362/385(7) के किला न0 1/0.228 ,2/0.227 ,9/0.228 ,10/0.227 ,11/.253 ,12/.253 ,प0न0 361/385(8) के किला न0 5/0.228 ,6/0.227 ,प0न0 0 मु0न0 70/14 के किला न0 0/1 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 73/14(0/3 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता कुल 2.0230हैक भूमि स्थित है जिसके इन्द्राज पुत्र हेमाराम खातेदार काश्तकार है

इन्द्राज पुत्र हेमाराम ने जरिये पर्चा डिक्री वाद भूमि अपने पुत्र लाजवन्त के नाम करवा दी एवं वर्तमान में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हैं एवं रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 10/12 के प0न0 362/385(7) के किला न0 1/0.228 ,2/0.227 ,9/0.228 ,10/0.227 ,11/.253 ,12/.253 ,प0न0 361/385(8) के किला न0 5/0.228 ,6/0.227 ,प0न0 0 मु0न0 70/14 के किला न0 0/1 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 73/14(0/3 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता कुल 2.0230हैक भूमि हिस्से में आई है वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया हे जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है अपने बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिन्होने वादी के परिवार के हक हिस्सा के अनुसार भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो उसके व उसके परिवार के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि वादी के परिवार के हक हिस्सा की भूमि है जिसका वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवारिक समझौता के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया हे जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार

भूमि स्थित है।

Web Copy - Not Official

भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवार के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी वादी के पिता इन्द्राज ने प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार के हक हिस्सा के अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो जमाबन्दी से साबित है वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक ससझ्ाोता एवं वाद भूमि का बाहमी बटवारा हुआ था जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवारिक समझौता एवं वाद भूमि का बाहमी बटवारा हुआ हे जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज हे उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों के अनुसार वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीया के पास रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 110/10 के प0न0 362/385(7) के किला न0 1/0.228 ,2/0.227 ,9/.228 ,10/.227 ,11 ,12/0.506 व प0न0 361/385(8) के किला न0 5/0.228 ,भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 110/10 के प0न 361/385(8) के किला न0 6/.227 ,प0न0 0 मु0न0 70/14 के किला न0 0/1 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 0 मु0न0 73/14 के किला न0 0/3 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/2/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि स्थित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official